परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या– 5136 एलएएस/2010 दिनांक : अक्टू0 18 : 2010

1–मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन/संचालन/प्राविधिक),
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

2–समस्त शाखाधिकारी
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

3–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

4362CGM(A)/G10
20.X.10

प्रबन्धक (वित्त)
19.10.10

विषयः–निगम के विरूद्व योजित होने वाले विभिन्न वादों के सम्बन्ध में प्राप्त सम्मन/अपीलों/याचिकाओं के सामयिक निस्तारण के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–1708एलएएस/05 दिनांक 23–3–05 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे परन्तु यह देखा जा रहा है कि निगम के विरूद्व योजित होने वाले विभिन्न वादों के सम्बन्ध में प्राप्त सम्मन/अपीलों/याचिकाओं का विभिन्न स्तरों से सामयिक निस्तारण नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पुनः निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

निगम के विरूद्व दायर याचिकाओं/अपीलों में तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि याचिकाओं अपीलों की प्रतियां विधि अनुभाग द्वारा संबंधित शाखाओं को भेजी जायेगी। इन याचिकाओं/अपीलों में संबंधित शाखा प्रस्तरवार आख्या तैयार कर निगम अधिवक्ता से निगम का अभिकथन तैयार कराकर दाखिल करायेगा। निगम अधिवक्ता से अभिकथन तैयार कराने का दायित्व संबंधित शाखाधिकारी, उपाधिकारी अथवा संबंधित कार्मिक जिन्हें प्रकरण की पूर्ण जानकारी हो, का होगा। निगम अधिवक्ता से अभिकथन तैयार कराने में विधि अनुभाग के संबंधित सहायक भी पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें एवं अभिकथन तैयार कराते समय वह भी उपस्थिति रहेगें ताकि समय से निगम अभिकथन तथ्यात्मक एवं तर्कसंगत रूप से तैयार होकर संबंधित न्यायालय में दाखिल हो सके ।

उपरोक्त व्यवस्था एमएसीटी को छोड़कर निगम से सम्बन्धित सभी मामलों में प्रभावी रूप से लागू की जानी है। एमएसीटी वादों से क्षेत्रीय विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय विधि प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व निर्देशों की भांति पैरवी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

इसके अतिरिक्त मा0 न्यायालयों द्वारा कतिपय वादों में समयबद्व आदेश पारित किये जाते हैं और इनका मा0 न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में अनुपालन न होनें के कारण मा0 न्यायालय के समक्ष निगम के उच्च अधिकारियों जैसे प्रमुख सचिव, परिवहन/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक आदि को व्यक्तिगत रूप से अवमानना वाद में उपस्थित होना पड़ता है। यह स्थिति निगम की छवि को धूमिल करती है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले विभिन्न समयबद्व आदेशों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्देशित समयावधि में ही अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। समस्त शाखाधिकारी अपनी शाखा से संबंधित वादों की एक पंजिका का रखरखाव किया जायेगा, जिसमें ऐसे वादों का अंकन एवं उनके सम्बन्ध में सामयिक कार्यवाही का पूर्ण विवरण अंकित कराया जायेगा। शाखाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस रजिस्टर का समय–समय पर अवलोकन/ निरीक्षण करते हुए वांछित कार्यवाही अपने निर्देशन में ही पूर्ण करायेगें। समयबद्व आदेशों का निर्धारण समयावधि में न होने पर शाखाधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जायेगें। इसी प्रकार क्षेत्रो से समयबद्व आदेशों के सम्बन्ध में पूर्व निर्देशानुसार पंजिका का रखरखाव किये जाने तथा समयान्तर्गत कार्यवाही न होने पर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (का0)/सहायक विधि अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

(सत्यजीत ठाकुर)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com